

शुभक,

श्री अशोक गांगुली  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र  
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

विधा [7] अनुभाग

संख्या : // दिसम्बर, 1998

विषय: एचरेस्ट पब्लिक स्कूल, आलीगार, माईन, साहिबाबाद, गाबियाबाद जो  
अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह ज्ञाने का निदेश हुआ है कि एचरेस्ट पब्लिक  
स्कूल, आलीगार माईन साहिबाबाद, गाबियाबाद को सीडीपीएसओ, नई दिल्ली  
से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित  
व्यवस्थाओं के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- [1] विद्यालय की पंजीयता सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया  
जायेगा ।
- [2] विद्यालय की बुद्धि समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य  
होगा ।
- [3] विद्यालय में कम से कम दस बुद्धिगत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-  
जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक  
शिक्षा परिषद द्वारा तय किए गए विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए  
निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- [4] संस्था द्वारा राज्य सरकार से जितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी  
और यदि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैदिक शिक्षा  
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्य-  
मिक शिक्षा परिषद/केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित स्कूल सटीफिकेट अथवा मिने-  
गन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता  
प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से  
अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- [5] संस्था वैदिक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त  
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से  
कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- [6] कर्मचारियों की सेवाओं बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञात-  
कीय उत्पत्त पर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति  
का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- [7] राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे,  
संस्था उनका पालन करेगी ।
- [8] विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/पंजीयनों में रखा जायेगा ।

191- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्करण नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

111- मानकानुसंग भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

121- मानकानुसार पुस्तकालय की व्यवस्था की जाय।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या कमिश्नता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामतित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

श्रीदीय,

1 जगदीश मांगुनी  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 4678111/15-7-98, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

111- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ

121- मध्यमोच्च संयुक्त शिक्षा निदेशक, भरत।

131- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।

141- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

151- प्रबन्धक, स्वरेस्ट पब्लिक स्कूल, शाहीमार्ग मार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद

आज्ञा से,

*Shree*

1 जगदीश मांगुनी  
संयुक्त सचिव।